न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 07/20 **सन् 2020**

आरसीएमएस संख्या 2020/00011

बउनवानी–राजकुमार पुत्र रामलखन मीना निवासी,वात्साल्य हॉस्पीटल के सामने, तह0 व जिला सवाई माधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 272/2019 निर्णय दिनांक 8.7.2019 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील अपीलान्ट
2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 26.2.2020**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 272/2019 में पारित निर्णय दिनांक 8.7.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2076 में वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर की बारीन–2 भूमि आराजी ख0न0 1947 रकबा 80X20 वर्ग फीट पर पक्की दिवार एवं एक पक्का मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का नवीन अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है किन्तु अपीलान्ट को बिना सुने ही आदेश जैर अपील पारित किया है जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि 1947 पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि अपीलान्ट का कब्जा अपनी क्रयशुद्वा भूमि ख0न0 1946 पर है जोकि अपीलान्ट ने खातेदार गन्दोडी पत्नि प्रभू नाथ, सम्मत पुत्र प्रभू नाथ एवं कैलाशी पुत्री प्रभू नाथ से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख0न0 1946 रकबा 0.18 है0 मे से उनका हिस्सा 480/1800 दिनांक 26.9.2018 को बालाजी बिहार के नाम से काटी गयी स्कीम मे स्थित 16 प्लाटों मे से प्लाट संख्या

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

13,14,15 एवं 16 खरीद किया था तथा अपने क्रयशुद्वा भूखण्डो पर बाउण्ड्रीवाल बनायी है जिसको पटवारी हल्का द्वारा ख0न0 1947 की भूमि मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की है तथा पटवारी की रिपोर्ट पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नजर अन्दाज कर एक तरफा आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2019 को होने पर दिनांक 24.12.2019 को निर्णय की प्रति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध श्री विनोद कुमार अग्रवाल द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वकालातनामा एवं प्रस्तुत जवाब नोटिस दिनांक 20.6.2019 से हो जाती है। अर्थात अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जहॉ तक विवादित ख0न0 पर अतिक्रमण होने का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी मौका रिपोर्ट से हो जाती है मुताबिक पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.2.2020 में अपीलान्ट का कब्जा मुताबिक धारा 91 की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित की गयी रिपोर्ट के अनुसार ही होना बताया गया। चूंकि मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का ख0न0 1947 पर ही अतिक्रमण होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की ओर से श्री विनोद कुमार अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वकालातनामा एवं जवाब नोटिस से हो जाती है। मुताबिक रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ख0न0 1946 की भूमि क्रय की गयी है जबकि उसके द्वारा ख0न0 1947 की भूमि पर अतिक्रण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुद्ढ अभिलेख प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उक्त ख0न0 1947 की भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित नही होता हो। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.04 15:49:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: